

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021/

जयपुर दिनांक: 15 JUN 2023

—: आदेश:—

प्रशासन शहरों के संग अभियान अवधि में प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से जनहित में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार छूट/शिथिलता प्रदान की जाती है:—

भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के नियम 2(vii)ख(iv) के अनुसार पट्टाशुदा भूखण्ड एवं आबादी के भूखण्डों का प्रस्तावित भू-उपयोग मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है तो भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया, राय एवं भू-उपयोग परिवर्तन समिति में रखने की आवश्यकता नहीं है, विज्ञप्ति जारी कर समस्त क्षेत्रफल के भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन अभियान अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेकर किये जाने की छूट प्रदान की जाती है।

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम
नगरीय विकास विभाग

राज्यपाल की आज्ञा से
(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव
स्वायत्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
12. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

15/6/23